रजिस्टी सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 221] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 26, 2013/भाद्र 4, 1935
No. 221] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 26, 2013/BHADRA 4, 1935

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 अगस्त, 2013

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) चौथा संशोधन विनियम, 2013

सं. भाराराप्रा/11012/158/2010-एच.आर.।(खण्ड।।).—भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 (1988 का 68) की धारा 9 के साथ पठित, धारा 35 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) विनियम, 1996 में आगे और संशोधन करने के लिए एतदद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: —

1. (1) ये विनियम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) चौथा संशोधन विनियिम, 2013 कहलाएंगे ।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (भर्ती, वरिष्ठता और प्रोन्नति) विनियम, 1996 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल विनियम संदर्भित किया गया है) की अनुसूची में निम्नलिखित पद के लिए पात्रता मानदंड और अर्हताओं को निर्धारित करने वाली अनुसूची को प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन और मानव संसाधन)"

[विज्ञापन—III/4/असाधारण/122/13]
नरेन्द्र कुमार, सदस्य (प्रशासन)

पाद टिप्पणी: मूल विनियमावली, अधिसूचना संख्या एनएचएआर-12011/1/95-प्रशा., तारीख 11 मार्च, 1996 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खण्ड 4, तारीख 11 मार्च, 1996 में प्रकाशित की गई थी और गत संशोधन अधिसूचना संख्या एनएचएआई/11011/17/2012-एचआर-I (खण्ड XV), तारीख 18 जून, 2013 द्वारा किया गया था जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III - खण्ड 4, तारीख 21 जून, 2013 में प्रकाशित किया गया था।

स्पष्टीकरण ज्ञापन

इस संशोधन की अधिसूचना से पहले कर ली गई अथवा करने से लोप करा दी गई किसी बात पर इस संशोधन के प्रख्यापन से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

पद का नाम	पदों की संख्या	पद का वर्गीकरण	वेतन बैंड और श्रेणी वेतन
1	2	3	4
मुख्य महाप्रबंधक (प्रशासन और मानव संसाधन)	01	समूह-क	पीबी-4 (37,400-67,000 रुपये) तथा श्रेणी वेतन 10,000/- रुपये

भर्ती का तरीका	आयु सीमा (केवल प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण के मामले में)
5	6
खोज-सह-चयन समिति के माध्यम से चयन	56 वर्ष

अपेक्षित शैक्षिक अर्हता और अनुभव	भर्ती मानदंड
7	8
अनिवार्य शैक्षिक अर्हता : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री **वांछनीय शैक्षिक अर्हता:** (क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय/ संस्थान से मानव संसाधन/कार्मिक प्रबंधन और औद्योगिक संबंध में विशेषज्ञता के साथ प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिग्री/ स्नातकोत्तर डिप्लोमा; अथवा (ख) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय /संस्थान से विधि में डिग्री **अनिवार्य अनुभव :-** (i) किसी समकक्ष पद पर अथवा उससे निचले पद (महाप्रबंधक/ निदेशक अथवा समकक्ष) पद पर नियमित आधार पर कम-से-कम 6 वर्ष से कार्यरत होना चाहिए; और (ii) वेतन बैंड-3 (15600 – 39100 रुपये) तथा 5400/- रुपये अथवा उच्चतर श्रेणी वेतन (केन्द्रीय महंगाई भत्ता पद्धति में) के वेतनमान वाले समूह – ''क'' पद पर नियमित आधार पर कम-से-कम 18 वर्ष की सेवा होनी	**खोज-सह-चयन समिति के माध्यम से चयन:-** (1) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण में महाप्रबंधक (प्रशासन) के पद पर छह वर्ष की नियमित सेवा वाले ऐसे महाप्रबंधक (प्रशासन) में से जो कॉलम 7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनिवार्य अनुभव रखते हों; अथवा (2) केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकारों अथवा संघ शासित क्षेत्रों अथवा विश्वविद्यालयों अथवा भारत सरकार से संबद्ध मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों अथवा सरकारी उपक्रमों अथवा अर्धसरकारी अथवा सांविधिक अथवा स्वायत्तशासी संगठनों और अन्य सरकारी निकायों के अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति द्वारा जो: (i) समकक्ष पदों पर नियमित आधार पर कार्यरत हों : अथवा (ii) जिनकी वेतन बैंड-4 (37400 -67000 रुपये) तथा श्रेणी वेतन 8900/- रुपये के वेतनमान में अथवा समकक्ष पदों पर 3 वर्ष की नियमित सेवा हो; अथवा (iii) जिनकी वेतन बैंड-4 (37400-67000 रुपये) तथा श्रेणी वेतन 8700/- रुपये के वेतनमान में अथवा समकक्ष पदों पर 6 वर्ष की नियमित सेवा हो; और जो कॉलम-7 में निर्धारित अनिवार्य शैक्षिक योग्यता और अनिवार्य अनुभव रखते हों ।

चाहिए; और (iii) जिसमें से प्रशासन/स्थापना/मानव संसाधन/ कार्मिक प्रबंधन में कम-से-कम 12 वर्ष का अनुभव होना चाहिए ।	<u>प्रतिनियुक्ति की अवधि</u> चयन होने पर नियुक्ति की अवधि प्रारंभ में 3 वर्ष होगी जिसे संतोषजनक निष्पादन की शर्त पर सरकार के अनुमोदन से 2 वर्षों तक और बढ़ाया जा सकता है । उचित चयन प्रक्रिया से गुजरने के बाद अधिकारी की दूसरी बार नियुक्ति पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा ।

NATIONAL HIGHWAYS AUTHORITY OF INDIA

NOTIFICATION

New Delhi, the 21st August, 2013

The National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Fourth Amendment Regulations, 2013

No. NHAI/11012/158/2010-HR. I (Vol. II). — In exercise of the powers conferred by section 35, read with section 9, of the National Highways Authority of India Act, 1988 (68 of 1988), the National Highways Authority of India hereby makes the following regulations further to amend the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1996, namely : —

1. (1) These regulations may be called the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Fourth Amendment Regulations, 2013.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the National Highways Authority of India (Recruitment, Seniority and Promotion) Regulations, 1996 (hereinafter referred to as the principal regulations), the Schedule prescribing eligibility criteria and qualifications for the following post shall be substituted, namely:-

"Chief General Manager (Administration and Human Resource)"

[ADVT. III/4/Exty./122/13]

NARENDRA KUMAR, Member (Administration)

Foot note: The principal regulations were published vide notification No. NHAR-12011/1/95-Admn., dated 11th March, 1996, in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4, dated the 11th March, 1996 and last amended vide notification No. NHAI/11011/17/2012-HR.I (Vol. XV), dated 18th June, 2013, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III – Section 4, dated the 21st June, 2013.

Explanatory Memorandum

Anything done or omitted to be done prior to notification of this amendment shall not be affected by promulgation of this amendment.

Name of post	No. of post	Classification of post
1	2	3
Chief General Manager (Administration and Human Resource)	01	Group-A

Pay Band and Grade Pay	Method of recruitment	Age limit (in respect of transfer on deputation only)
4	5	6
PB-4 (Rs.37,400-67,000) with Grade Pay Rs.10,000/-	Selection through Search-cum-Selection Committee	56 years

Educational qualification and experience required	Recruitment Criteria
7	8
Essential Educational Qualification:- Degree of a recognized University. **Desirable Educational Qualification**:- (a) Post Graduate Degree / Post Graduate Diploma in Management with specialization in Human Resources/ Personnel Management & Industrial Relations from a recognized University/ Institute; or (b) Degree in Law from a recognized University/ Institute. **Essential Experience**:- (i) Should be working in an analogous post or the post next below (General Manager/ Director or equivalent) for at least 6 years on a regular basis; and (ii) At least 18 years' service in a Group-'A' post carrying the pay scale of Pay Band-3 (Rs.15600-39100) with Grade Pay Rs.5400/- or higher (in CDA Pattern) on a regular basis; and (iii) Out of which at least 12 years experience in Administration/ Establishment/ Human Resource/ Personnel Management.	**Selection through Search-cum-Selection Committee**:- (1) From amongst General Manager (Administration) of NHAI with six years' regular service in that post; and possessing essential educational qualification and essential experience stipulated in Column 7. OR (2) By deputation from officers under the Central Government or State Governments or Union Territories or Universities or Recognized Research Institutions affiliated to Government of India or Public Sector Undertakings or Semi Government or Statutory or Autonomous Organizations and other Government Bodies:- (i) holding analogous posts on regular basis; or (ii) with three years of regular service in the posts in the pay scale of Pay Band-4 (Rs.37400-67000) with Grade Pay Rs.8900/- or equivalent; or (iii) with six years of regular service in the posts in the pay scale of Pay Band-4 (Rs. 37400-67000) with Grade Pay Rs. 8700/- or equivalent; and Possessing the essential educational qualification and essential experience stipulated in column 7. **Period of deputation** Period of appointment on selection shall be for an initial period of 3 years, extendable by two more years with the approval of the Government, subject to satisfactory performance. There shall be no bar to an officer getting a second term after going through the due process of selection.

3698 GI/13-2
Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.